

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

वाद सं.- 410/9/2006

सरकार बनाम सुरेन्द्र आदि।

मु.अ.सं.-186/1988

धारा-379/511 भा.द.सं.।

थाना-कांधला, जिला-शामली।

बयान संस्वीकृति

नाम-चन्द्रबोस पुत्र-बृजपाल पेशा- मजदूरी  
निवासी- ग्राम भारसी थाना- कांधला जिला- शामली (उ०प्र०)

**प्रश्न 1-** यह कि दिनांक 08.11.1988 को समय करीब रात्रि 11.00 बजे व बहद स्थान ग्राम भारसी, थाना कांधला, जिला शामली में आपके द्वारा वादी मुकदमा की बुगी का सैट (पहिया) चोरी करने की नीयत से खोला गया, जिसे आप चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

**उत्तर-** जी सही है, गलती हो गई।

**प्रश्न 2-** आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला?

**उत्तर-** सही चला।

**प्रश्न 3-** आप स्वेच्छा जुर्म स्वीकार कर रहे है?

**उत्तर-** जी हाँ, स्वेच्छा जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ।

**प्रश्न 4-** क्या कुछ और कहना है?

**उत्तर-** गरीब आदमी हूँ। घर में अकेला कमाने वाला हूँ। कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। भविष्य में गलती नहीं करूंगा।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक-04.12.2021

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

"मेरे द्वारा अभियुक्त चन्द्रबोस को यह समझा दिया गया है कि संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लायी जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गयी है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गयी है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है, उसे यह पढ़कर सुना दी गयी है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पूरा और सही वृत्तान्त इसमें है।"

दिनांक-04.12.2021

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

दिनांक-04.12.2021

पत्रावली आज पेश हुई। अभियुक्त हाजिर अदालत आया। अभियुक्त चन्द्रबोस की ओर से स्वेच्छा अपराध संस्वीकृति का कथन किया गया है, उसकी संस्वीकृति का बयान अभिलिखित किया गया।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त चन्द्रबोस की ओर से यह कथन किया गया है कि उक्त वाद 33 वर्ष पुराना है। प्रार्थी/अभियुक्त बूढ़ा व्यक्ति है और कोई पैरोकार भी नहीं है। न ही उक्त वाद के अलावा कोई अन्य मुकदमा प्रार्थी पर है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त

वाद स्वेच्छा से जुर्म इकबाल करना चाहता है। इसीलिए उपरोक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त पर कम से कम जुर्माना करके निस्तारित किया जाना आवश्यक है।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उसकी संस्वीकृति का बयान अभिलिखित किया गया है, जिसमें स्वेच्छया जुर्म स्वीकार करने का कथन किया गया है।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ.आई.आर. वादी द्वारा दिनांक 9.11.1988 को मुल्जिम सुरेन्द्र पुत्र दरिया सिंह, ग्राम भारसी के विरुद्ध इस कथन के साथ लिखवाई कि दिनांक 08.11.2021 की रात्रि 11.00 बजे मेरे सहन में खटके की आवाज हुई, मैं आवाज पर अपने सहन में गया तो दो आदमी मुझे देखकर एकदम भाग लिए तथा बुग्गी के पीछे छिप गये। टार्च की रोशनी में उसे मैंने तथा धीर सिंह ने पहचान लिया। पकड़ा गया मुल्जिम सुरेन्द्र उपरोक्त है। मुल्जिमान चोरी करने की नीयत से मेरे मकान में रात में घुसे तथा चोरी करनी नीयत से मेरी बुग्गी का सेट (पहिया) खोल लिया था यदि मैं न जागता तो मुल्जिमान मेरे सेट की चोरी कर ले जाते और मुझे तीन हजार रुपये का नुकसान हो जाता। मुल्जिम सुरेन्द्र मौके पर पकड़ा गया। मुल्जिम शातिर किस्म का बदमाश है। पुलिस द्वारा दिनांक 09.03.1989 को जिसमें सुरेन्द्र पुत्र दरिया सिंह, व चन्द्रबोस पुत्र बृजपाल, निवासीगण ग्राम भारसी, थाना कांधला, जिला शामली को मुल्जिम बनाकर चार्जशीट प्रेषित की गई। अभियुक्त सुरेन्द्र की मृत्यु आख्या दिनांक 07.10.16 के आदेशानुसार अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध यह वाद उपशमित हो चुका है। मुकदमे में केवल चन्द्रबोस बचा है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.12.1988 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर उक्त दिनांक में ही माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत प्रदान की गई। दिनांक 26.02.2020 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त चन्द्रबोस के विरुद्ध आरोप बनाया गया। पूर्व में भी अभियुक्त दिनांक 26.02.2020 को जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दे चुका है तथा दिनांक 25.11.2021 को पुनः जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र दिया गया व अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा 437 द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र दिया गया तथा स्वीकृत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा 379/511 भा.द.सं., के तहत पंजीकृत हुआ था तथा जो चोरी करने का प्रयास किया है वह एक बुग्गी का सेट(पहिया) था। यह वाद सन् 1988 से चला आ रहा है। भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दी गई 379 की परिभाषा के अनुसार जो कोई चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

511 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है दण्डित किया जायेगा।

चूंकि अभियुक्त को बुग्गी के सेट(पहिये) को चोरी करने के प्रयास में चार्ज किया है तथा अभियुक्त का एफ.आई.आर. में नाम नहीं था और विवेचना में प्रकाश में आया था तथा इस वाद को चलते करीब 33 वर्ष हो चुके हैं। अभियुक्त इस लंबी अवधि में हाजिर अदालत रहा है। अतः उपरोक्त सभी तथ्य व परिस्थितियों के दृष्टिगत धारा 379/511 भा.द.सं., के तहत अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

### आदेश

अभियुक्त चन्द्रबोस को मु.अ.सं.-186/1988 अन्तर्गत धारा 379/511 भा.द.सं. के अपराध में 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस आदेश की प्रति अभियुक्त को आज ही प्रदत्त की जाये।

दिनांक-04.12.2021

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक-04.12.2021

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।